गए मकानों पर भिन्न-भिन्न दरों से गृह कर लगाया जाता है जबकि सभी मकान मालिकों को सुविधाएं एक जैसी मिलती हैं; और

(ख) यदि हां, तो दरों में असमानता का क्या औचित्य है और क्या सरकार इस सम्बन्ध में समानता लाएगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) नयी दिल्ली नगर पालिका ने बताया है कि सम्पत्तियों के वार्षिक कर योग्य मूल्य के 12½ प्रतिशत की समतुल्य दर पर गृह कर लगाया जा रहा है। वार्षिक कर योग्य मूल्य जो कि पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाता है, एक मकान से दूसरे के मामले में उनके क्षेत्रफल, निर्माण आदि की लागत में अन्तर के कारण भिन्न-भिन्न हो सकता है। भिन्न-भिन्न वर्षों के लिए कर की कोई भिन्न दर नहीं है।

दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि सम्पत्ति कर, दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों तथा दीवान दौलत राय कपूर के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्धारित अथवा निर्धारण योग्य मानक किराए के आधार पर लगाए जाते हैं। सम्पत्तियों के मानक किराए कानून के अनुसार निर्माण के वर्ष के मुताबिक भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने यह भी कहा है कि पंजाबी बाग सहकारी गृह निर्माण समिति बनाम दिल्ली नगर निगम के मुकदमे में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कराधान तथा नागरिक सुविधाओं के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता

4203. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता दी है और यदि हां, तो उन्हें कितनी राशि की सहायता दी गई है;

(ख) क्या प्रत्येक ब्लाक में 5 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो गोरखपुर और सीतापुर जिलों में, पृथक-पृथक प्रत्येक ब्लाक पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितने कर्मचारी बढ़ाये गये और कितने बीज और कितना उर्वरक सप्लाई किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। 1983-84 के दौरान छोटे तथा सीमान्त किसानों को सहायता देने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को सहायता देने की व्यवस्था की गई है। जून तथा सितम्बर, 1983 को समाप्त प्रथम तथा द्वितीय तिमाहियों की दो किश्तों के लिये सम्बन्धित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय शेयर के रूप में 67.2198 करोड़ रुपये की धन-राशि नियुक्त की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार से सामग्री एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Breaking down of Public Distribution System in Maharashtra

4204. **SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL** : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the Public Distribution System